12-1-26 पत्रावली पेश है वकील पक्षकार उपस्थित। प्रकरण मे बहस
पूर्व मे हो चुकी है। पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन
अध्ययन व मनन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है
कि प्रार्थी का प्रा.प. स्वीकार किये जाने योग्य है।
अतः प्रार्थी का प्रा.प. मि.नं. 07/2025
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया
जाकर शामिल ~~मिसल~~ किया गया। गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर
हो। निर्णय आज दिनांक 12/01/26 को खुले इजलास
सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
07 / 2025	16.09.2025	12/01/2026

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अक्षय राज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगणकी ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1–यह कि वाके ग्राम ख्यावदा पटवार हल्का बगावदा तहसील दीगोद मे खाता सं0 04 में ख0नं0 266/113 रकबा 1.48 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

2– यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राकेश कुमार शर्मा है जो प्रार्थी के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजो राकेश कुमार शर्मा नाम है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेश कुमार शर्मा नाम दर्ज है।

3–यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमि वाके ग्राम ख्यावदा पटवार हल्का बगावदा तहसील दीगोद मे खाता सं० 04 में ख0नं0 266/113 रकबा 1.48 हे० भूमि जर्ये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड अम्बरीस पुत्र राधाकिशन जाति खाती निवासी महवीर नगर विस्तार योजना कोटा तह० लाडपुरा जिला कोटा राज० से दिनांक 26–5–2025 को क्रय की है। उक्त रजिस्ट्री में प्रार्थी का सही नाम राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अक्षय राज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बडौद तह० दीगोद जिला कोटा राज० का नाम दर्ज है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल खोलते वक्त राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर राजेश कुमार शर्मा दर्ज कर दिया गया है इस प्रकार राजस्व विभाग में वक्त ऑनलाईन इन्तकाल त्रुटि कारित करते हुए राजेश कुमार शर्मा दर्ज हुआ है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाये जाने का अधिकारी है।

4– यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु मौखिक निवेदन किया तो अप्रार्थी ने नाम सही करने से साफ मना कर दिया और न्यायालय में कार्यवाही करवाने की हिदायत दी।

5– यह कि न्यायालय श्रीमान को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

6– यह कि अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को आदेशित करने की कृपा करें कि वाके ग्राम ख्यावदा पटवार हल्का बगावदा तहसील दीगोद मे खाता स० 04 में ख0नं0 266/113 रकबा 1.48 हे० भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार शर्मा पुत्र अक्षय राज शर्मा के स्थान पर राकेश कुमार शर्मा पुत्र अक्षय राज शर्मा नाम दर्ज करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमाबन्दी ग्राम ख्यावदा सम्वत 2076–2079 खाता सं0 नया 4
2. विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2025

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शुद्धी पत्र में पटवारी रिपोर्ट अनुसार विक्रय पत्र में प्रार्थी का नाम राकेश दर्ज है जबकी स्वतः नामान्तरण की प्रकिया में राकेश के स्थान पर राजेश हो गया है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा जवाब सरकार का आधोपान्त अवलोकन, अध्ययन व बहस कथनो पर मनन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व ग्राम ख्यावदा पटवार हल्का बगावदा तहसील दीगोद मे खाता स० 04 में ख0नं0 266/113 रकबा 1.48 हे० भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेश के स्थान पर राजेश उर्फ राकेश दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद